न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टी.ए. / 2325 / 1999 / जिला सिरोही

1- चम्पा बेवा रामाजी
2- सवा पुत्र रामाजी
3- मोहन पुत्र रामाजी
4- सीता पुत्री रामाजी
5- लक्ष्मण पुत्र रामाजी
6- भरत पुत्र रामाजी
निवासीयान गिरवर तहसील एवं जिला आबूरोड
कुदरती वलीया माता श्रीमती चम्पा बेवा रामाजी अपीलांट 2 से 6 हेतु

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- चुन्नीलाल पुत्र हरजी जाति मेघवाल
2- बागाराम पुत्र हरजी जाति मेघवाल
3- तुलसाराम (मृतक) गलबा जाति मेघवाल जरिये कायम मुकाम :-
1- मु0 होजी बेवा तुलसाराम
2- ग्यारसा पुत्र तुलसाराम
3- तारा पुत्र तुलसाराम
4- शंकर पुत्र तुलसाराम
4- अर्जुन पुत्र रामाजी जाति मेघवाल
5- मगन पुत्र रामाजी जाति मेघवाल
6- सोमा पुत्र रामाजी मेघवाल
समस्त निवासीगण गिरवर, आबूरोड ।
7- तहसीलदार, जिला आबूरोड ।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य
श्री मदन मोहन शर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री भवानी सिंह, अभिभाषक :- अपीलार्थीगण
श्री खडगसिंह, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6
श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-7

दिनांक : फरवरी, 2013

निर्णय

1- हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-224 के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या-29/1998 में दिनांक 26-2-1999 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 से 3 ने रामा पुत्र अमरा एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध मौजा पटवार क्षेत्र गिरवर व महीखेड़ा खतौनी ग्राम तहसील आबूरोड जिला सिरोही में अवस्थित खसरा संख्या-56, 561, 562 एवं 665 के संबंध में उद्घोषणा का राजस्व वाद सहायक जिलाधीश, आबूपर्वत के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के पिता गलबाजी की आराजी थी । अमराजी सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था जिस पर सभी संयुक्त रूप से कृषि किया करते थे। सन् 1968 में हरजी के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी रामा पुत्र अमरा ने स्वयं को अमरा पुत्र गलबा का उत्तराधिकारी होना बताकर अपना नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करा लिया है । अतः विवादित आराजी में से प्रतिवादी रामा का नाम हटाकर वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाये ।

3- विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी रामा के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध प्रस्तुत वाद में दिनांक 16-4-1998 को एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया । सहायक जिलाधीश, आबूपर्वत द्वारा दिनांक 16-4-1998 को पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थीगण ने विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की । उक्त प्रथम अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही ने निर्णय दिनांक 26-2-1999 द्वारा अस्वीकार कर निरस्त कर दी गयी । विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 26-2-1999 को पारित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

4- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीगण को विचारण के समक्ष प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है । विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि अमरा वल्द गलबा व अमरा वल्द भूदा अलग अलग व्यक्ति है, बिना किसी साक्ष्य पर आधारित है एवं उक्त हेतु विवाद्यक भी विरचित नहीं किया गया है । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 का कथन है कि चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया था । अतः विवाद्यक विरचित करने की आवश्यकता नहीं थी । उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को वाद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार शेष नहीं रहता है । दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से निर्णय पारित किया । निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

7- विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-7 ने प्रकरण का निस्तारण विधिसम्मत् रूप से गुणावगुण पर किये जाने की प्रार्थना की ।

8- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

9- पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी रामा के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित की है तथा उसे प्रतिपरीक्षा का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । यद्यपि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादी ने कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है एवं उसके विरूद्ध दिनांक 28-7-1994 को पारित एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 9-3-1995 को निरस्त किया जा चुका है, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि दिनांक 28-7-1994 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के उपरान्त अपीलार्थी / प्रतिवादी विचारण न्यायालय के समक्ष सतत रूप से उपस्थित रहा है, लेकिन अपीलार्थी / प्रतिवादी के सतत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के उपरान्त भी उसे वाद की अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने नहीं दिया गया । जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22-2-1996 को पारित आदेश से भी होती है जिसके अनुसार अपीलार्थी / प्रतिवादी रामा ने प्रत्यर्थीगण / वादीगण के साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22-2-1966 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **ए.आई.आर. 1955 (उच्चतम न्यायालय) पृष्ठ-425 (संग्राम सिंह बनाम चुनाव अधिकरण कोटा एवं अन्य)** का उल्लेख करना समीचिन रहेगा जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है :-

> "Rule 7 provides that if at an adjourned hearing the defendant appears and shows good cause for his "previous non-appearance" he can be heard in answer to the suit "as if he had appeared on the day fixed for his appearance". This cannot be read to mean that he cannot be allowed to appear at all if he does not show good cause. All it means is that he cannot be relegated to the position he would have occupied if he had appeared. If a party does appear on "the day to which the hearing of the suit is adjourned", he cannot be stopped from participating in the proceedings simply because he did not appear on the first or some other hearing."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त की पृष्ठभूमि में यह सुस्थापित विधि है कि एकपक्षीय कार्यवाही होने के पश्चात भी पक्षकार को अग्रिम कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है अर्थात वह अग्रिम कार्यवाही यथा प्रतिपरीक्षा, बहस इत्यादि में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है ।

10- चूंकि हस्तगत् प्रकरण में अपीलार्थी / प्रतिवादी रामा को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलार्थी /

प्रतिवादी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । अतः उपरोक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

11- निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार. की जाती है एवं विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-2-1999 एवं विद्वान सहायक जिलाधीश, आबूपर्वत जिला सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-4-1998 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विद्वान सहायक जिलाधीश, आबूपर्वत जिला सिरोही को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि चूंकि प्रकरण सन् 1994 से लम्बित है, अतः वह उपरोक्त प्रेषणों की पृष्ठभूमि में उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पत्रावली प्राप्त होने की दिनांक से प्रकरण को तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निस्तारित करें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदन मोहन शर्मा)
सदस्य

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य